



# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

घटना महुवा

बनाम शिव महुवा

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एम...०५.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सोनादातु</u> के अप्राथमिकी सं०-...०.1... दिनांक-०५/०१/१८ प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जमीन विवाद की लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>०२-०२-१८</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="239 1568 574 1769"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> <div data-bbox="845 1545 1181 1769"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> </div>	
09-02-18	<p><u>प्रीमतीन पदाधिकारी बैंक में गाटा</u> <u>लेन हेतु शर्चा के। दिनांक 16-02-18</u> <u>की 22वीं 1</u></p>	

(5)

पृष्ठ सं०-

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

06-08-18

अभिलेख उपस्थापित । समय पत्र  
उपस्थित । प्रथम पत्र जवान दालित की  
दिनांक 20-08-18 को रखी

  
6/8/18

20-08-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  
अनुपस्थित दिनांक पत्र उपस्थित । उक्त  
वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूरी  
ही नहीं है अर्थात् वाद कालबाधित ही  
गया है। अतः वाद में अभिलेख की  
कारवाही बन्द की जाती है।

  
20/8/18